भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 नवम्बर, 2009

संख्या का० आ० 96/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2009.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उपधारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 4/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2009, दिनांक 18 अगस्त, 2009, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।

(2) ये अक्तूबर, 2006 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, 47 में, उप-नियम (1) में, विद्यमान सारणी में,—

(i) शीर्ष मे, खाना 4 में, "30-9-2008", अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "30-9-2009", अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे क्रम संख्या 5 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

2
"30 सितम्बर, 2006, 30 सितम्बर, 2007, 30 सितम्बर 2008 तथा 30 सितम्बर, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईट भट्ठा, जिसमें प्रथम अक्तूबर, 2006, प्रथम अक्तूबर, 2007, प्रथम अक्तूबर, 2008 तथा प्रथम अक्तूबर, 2009 को भटठे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हों ।"।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।